कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-30/2016-17/

दिनांक : /11/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, खटीमा

जिला- उधमसिहं नगर

विषय : क्षेत्र पंचायत खटीमा, जनपद-उधमसिहं नगर, का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **पाँच** प्रस्तर तथा STAN मे एक प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 30/2016-17/ दिनांक: /11/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी,उधमसिहं नगर

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड विकास अधिकारी/ क्षेत्र पंचायत खटीमा, जनपद- उधमसिहं नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

-

श्री श्याम किशोर आर्य — खण्ड विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस. के. त्यागी,व.ले.प.अ
(ii) श्री अर्जुन सिहं, स.ले.प.अ.
(iii) श्री एल. एस. लिगंवाल. स.ले.प.अ.
(iv) श्री के0बी गुंरुग. पर्यवेक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 26.07.2016 से 02.08.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ,. क्षे.पं. खटीमा,** जनपद **उधमसिहं नगर**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः 66

भौगोलिक क्षेत्र :-- 25 वर्ग कि0मी0

जनसंख्या : - 183429

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 02

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06 बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या 17

6- पंचायतराज की सम्पतियां : - 1 कार्यालय भवन,

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 09

9- (अ) सामाजिक संरक्षा (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:- (द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : शून्य

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12 क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत खटीमा, जनपद- उधमसिहं नगर के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस. के. त्यागी,व.ले.प.अ के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री एल. एस. लिगंवाल, स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिहं, स.ले.प.अ. एवं श्री के0बी0 गुरुंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 26.07.2016 से 02.08.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4 (ब)-1**	**भाग 4 (ब)-2**
प्रतिवेदन स. 317/14-15	01	1,2,3,4,5,6,

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	--	
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख	-	

STAN

प्रस्तरः-1 सा0 भा0 निधि से संबंधित अभिलेखों का त्रुटिपूर्ण रख-रखाव।

सा0 भा0 निधि में अंशदान करने के पश्चात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की अपेक्षा होती है कि उनके खाते का रख-रखाव व उस पर नियमित ब्याज की गणना संबंधित लिपिक द्वारा सही प्रकार से किया जाये क्योंकि उसी गणना के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर या सेवा निवृत्ति पर संपूर्ण धनराशि का भुगतान किया जाता है।

इकाई के सा0 भा0 निधि लेखा की जाँच में निम्न प्रकार की अनियमितता पाई गई -

1. श्री केशव प्रसाद खाता सं0 CPU/11367 के खाते में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ब्याज की गणना में ` 25772/-(पासबुक 62904-37132 वास्तविक) का अंकन अधिक किया गया है।
2. श्री गिरीश राम आर्य खाता सं0 CPU/33444 के खाते में वर्ष 2015-16 में अभिदान का योग ` 3600/- (51738-55338) कम दर्शाया गया है।
3. श्री महेश गोस्वामी खाता सं0 CPU/56857 की भविष्य निधि पुस्तिका में वर्ष 2015-16 में अभिदान मासिक माह दिसम्बर तक ` 5000/-प्रतिमाह दर्शाये गये हैं, जबकि फरवरी व मार्च में ` 500/- प्रतिमाह दर्शाये गये है जबकि मासिक अंशदानों का योग यदि फरवरी व मार्च में अभिदान ` 5000/- प्रतिमाह है तो ` 61266/- होना चाहिए था एवं यदि ` 500/-प्रतिमाह है तो योग ` 52266/- होना दर्शाया गया है।
4. उपरोक्तनुसार श्री वसीम कुरैशी खाता सं0 CPU/49441 की सा0 भा0 निधि खाते में भी वर्ष 2015-16 में आहरण कालम में आहरण ` 1,50,000/- के स्थान पर 15000/- ही दर्शाये गये है जिसे शब्दों में भी अंकित नहीं किया गया है एंव न ही आहरण कालम में अन्य जानकारी जैसे दिनांक, स्वीकृति संख्या, आहरण का प्रकार(स्थायी/अस्थायी) ही भरी गई है। आहरण कालम सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नही कराया गया था।
5. इकाई द्वारा सा0 भा0 निधि से अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थायी/स्थायी अग्रिम स्वीकृत होने पर इस आहरण को अंकित करने हेतु कोई पंजिका नही बनाई जा रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं/अनियमितता की ओर उकाई का ध्यान आकर्षित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया गया कि उपरोक्त त्रुटियों को ठीक कर सत्यापित करा दिया जायेगा व आहरण पंजिका बना ली जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि सा0 भा0 निधि में जमा धनराशि कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ-साथ भविष्य हेतु उनके परिवार को भी आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु एक महत्वपूर्ण निधि है, अतः इसका रख-रखाव सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त त्रुटियों के कारण भविष्य निधि की धनराशि

का आंकलन सही प्रकार से किया जाना संभव नहीं था। खास तौर पर ग्रुप-डी कर्मचारियों को भुगतान विभाग द्वारा ही किया जाता है, यदि गणना त्रुटिपूर्ण होगी तो भुगतान भी सही नहीं हो पायेगा।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर:-1 राज्य वित्त आयोग से सम्बंधित अभिलेखों का रख-रखाव ठीक ढंग से न किया जाना।

इकाई के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में विकास खण्ड खटीमा को आवंटित धनराशि का निर्माण कार्यों पर व्यय निम्न प्रकार से किया गया था।

कार्य सूची	**कुल कार्य**	**कुल व्यय**
01 (वर्ष 2014-15)	39	62,35,000/-
02 (वर्ष 2014-15)	18	31,31,000/-
03 (वर्ष 2015-16)	48	81,71,199/-
कुल योग		**1,75,37,199/-**

आगे जाँच में पाया गया कि-

(i) वर्ष 2014-15 की कार्य पंजिका में क्र.स. 39 से 41 तक के 03 कार्यों की, कार्य सूची(सलंग्न अ) में नही दर्शाया गया था।

(ii) कार्य सूची 01(संलग्नक अ) में क्र.स. 20 से 22 तक के 03 कार्य, कार्य सूची 02 (संलग्नक ब) में क्र.स. 1,2,व 3 में भी शमिल किया गया है। इस प्रकार उक्त 03 कार्यों की धनराशि ` 2,87,170/- दो बार व्यय के रुप में दिखाई गयी थी।

(iii) वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की कार्य सूची(संलग्न स) में क्र.स. 37 पर अंकिय कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि ` 2,30,000/- के सापेक्ष कार्य पंजिका मे व्यय ` 2,14,975/- दिखाया गया था जबकि कार्य सूची में व्यय ` 2,41,975/- दर्शाया गया था जो कि वास्तविक व्यय से `27,000 अधिक था।

लेखापरीक्षा में इगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2014-15 की कार्य पंजिका में क्र.स. 39 से 41 तक के 03 कार्य 2013-14 की अवशेष धनराशि से कराये गये थे तथा 03 कार्यों के 02 सूचियों में दर्ज किये जाने के सम्बंध में इकाई ने बताया कि कार्य त्रुटिवश दोनों सूचियों में दर्ज हो गये है तथा वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों की सूची में क्र.स. 37 पर दर्ज कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि ` 2.30 लाख के सापेक्ष वास्तविक भुगतान ` 2,14,975/- ही किया गया है लेकिन टंकण त्रुटि होने के कारण ` 2,41,975/- दर्ज हो गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त त्रुटियों का निराकरण कर लेखापरीक्षा में पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतःअभिलेखों का रख-रखाव ठीक ढंग से न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

भाग 4(ब)2

प्रस्तर:-2 (अ) विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधान सभा की बचत व ब्याज राशि ` 10.98 लाख को शासकीय निर्देशों के विपरीत राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मई 2014 में विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधान सभाओं की बचत व ब्याज की धनराशि को क्रमशः लेखाशीर्षक "4000-विवधि पूँजीगत प्राप्तियाँ-01 सिविल -800 अन्य प्राप्तियाँ" व लेखा शीर्षक "0049-ब्याज प्राप्तियाँ-04 अन्य प्राप्तियाँ-800 अन्य प्राप्तियाँ-12अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ-01 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत राजकोष में जमा करने के निर्देश दिये थे।

विकास खण्ड खटीमा के विधायक निधि से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान संज्ञान में आया है कि अप्रैल, 2012 में विकास खण्ड विधायक निधि में `68.31 लाख का शेष था। वर्ष 2011-12 में नई विधान सभा गठन के उपरान्त पिछली विधायक निधि से `35.77 लाख का व्यय अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने व अवशेष भुगतान पर किया गया था तथा ` 21.56 लाख जुलाई 2013 में संबन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राजकोष में जमा करा दिये गये थे। अतः पिछली विधायक निधि अवशेष ` 68.31 लाख में से ` 57.33 लाख (` 35.77 लाख अपूर्ण योजनाओं व ` 21.56 लाख राजकोष में जमा पर) खण्ड द्वारा उपयोग किये गये थे, शेष ` 10.98 लाख की राशि अभी भी विकास खण्ड खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

इस प्रकार, विकास खण्ड द्वारा शासकीय निर्देशों के विपरीत विगत 04 वर्षों से विधायक निधि के अन्तर्गत ` 10.98 लाख का अनावश्यक अवरोधन किया गया था।

इंगित किये जाने पर विकास खण्ड़ द्वारा अवगत कराया गया कि जाँचोपरान्त शेष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही था क्योंकि मई 2014 में शासकीय निर्देशों के बावजूद विधायक निधि की अवचनबद्ध व अर्जित ब्याज धनराशि को राजकोष में जमा न कराया जाना विकास खण्ड की उदासीन कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर:-3- श्रेणीवार अवमुक्त धनराशि(अ.ज.जाति, अनु.जाति व सा.जाति) को उसके अनुरुप व्यय न किया जाना।

क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में ` 21.18 लाख अवमुक्त किया गया था। अवमुक्त धनराशि में से `19.81 लाख अनुसचित जनजाति पर, `1.31 लाख अनुसूचित जाति पर एवं ` 0.054 लाख सामान्य जाति की योजनाओं पर व्यय किया जाना था। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा धनराशि श्रेणीवार फाटकर इस प्रतिबन्ध के साथ अवमुक्त की गयी थी कि योजनाओं पर व्यय श्रेणीवार(अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति) किया जाय।

क्षेत्र पंचायत, खटीमा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि श्रेणीवार फाटकर अवमुक्त धनराशि का व्यय दिशा निर्देश के अनुरुप नही किया गया। आवंटन के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति पर 44 प्रतिशत कम, अनुसूचित जाति पर 77 प्रतिशत अधिक एवं सामान्य जाति पर 99.20 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया था (सलग्नंक)। इस प्रकार श्रेणीवार धनराशि का जिस श्रेणी हेतु व्यय किया जाना था, नही किया गया जिसके कारण जिस योजना हेतु धनराशि प्राप्त हुई थी उस योजना पर धनराशि व्यय न करने से उसका पूर्ण लाभ जनता को नही मिल सका।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि योजनायों का कार्य जनजाति बाहुल्य ग्रामों में ही कराया गया है त्रुटिवश योजनायों के सम्मुख सामान्य जाति व अनुसचित जाति अंकित होना रह गया था।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र में कार्य का श्रेणीवार फाट कर कराया दिखाया गया है।

अतः श्रेणीवार अवमुक्त धनराशि (अनु.जनजाति. व अ.जाति व.सा.जाति) को उनके अनुरुप व्यय न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

अ.ज.जाति, अनु.जाति व सा.जाति हेतु आंवटन के सांपेक्ष व्यय विवरण

क्र.स.	**वर्ष**	**अनुसूचित जनजाति**		**अनुसूचित जाति**		**सामान्य जाति**		**योग**
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
1.	2014-15	5,87,059	3,61,842	1,31,200	1,20,614	5,425	2,41,228	7,23,864
2.	2014-15	5,09,290	2,50,000	-	1,34,000	-	1,25,000	5,09,290
3.	2015-16	8,84,541	2,52,724	-	3,15,905	-	3,15,912	8,84,541
योग		19,80,890	8,64,566	1,31,200	5,70,519	5425	6,82,140	21,17,695
प्रतिशत		56	44	23	77	0.80	(-)99.20	

<u>भाग 4(ब)2</u>

प्रस्तर:-2 (ब) सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों की बचत व ब्याज राशि ` 37.03 लाख को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापिस न किया जाना।

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप व अपहुँच वाले क्षेत्रों में निवास कर रहें लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना है। मुख्य विकास अधिकारी ऊधमसिहं नगर द्वारा अप्रैल 2016 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों की बचत अथवा ब्याज की अवशेष राशि को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापिस किये जाने के निर्देश दिये थे ताकि योजना के अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जा सके।

वित्तीय वर्ष	**स्वीकृत योजनायें**	**योजनाओं की स्थिति**	**योजनाओं की स्वीकृत राशि**	**अवमुक्त राशि**	**व्यय भुगतान राशि**	**अदत्त भुगतान**	**अवशेष राशि**	**जमानत राशि**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	09	सभी पूर्ण	45.10	45.10	37.82	7.28 (`45.10,-37.82 लाख)	शून्य	4.51 स्वीकृत राशि (`45.10 लाख का 10%)
2015-16	05	अपूर्ण अनारम्भ	48.00	40.78	23.17	शून्य	17.61 (` 40.78,-23.17 लाख)	3.10(प्रारम्भ हुए कार्यों की स्वीकृत राशि का 10%)

अन्तिम शेष में शामिल राशियों का योग=7.28+++17.61+4.51+3.10= ` 32.50 लाख

अन्तिम शेष की अतिरिक्त राशि ` 37.03 लाख (69.53-32.50 लाख) में योजना से सम्बन्धित विगत वर्षों की बचत व ब्याज राशि सम्मिलित थी जिसे मुख्य विकास अधिकारी के आदेशानुसार डी.आर.डी.ए.(जिला ग्राम्य विकास अधिकरण) को वापस किया जाना था।

इस प्रकार विकास खण्ड द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों की बचत व ब्याज राशि को अनावश्यक रुप से अवरोधित रखा गया जिसके कारण जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य सवीकृत नहीं किये जा सके।

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गणना के उपरान्त अवशेष धनराशि अभिकरण को वापस कर दी जायेगी।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के तीन माह उपरान्त भी विकास खण्ड द्वारा अवशेष धनराशि की गणना कर अभिकरण को वापिस नहीं की गयी थी।

अतः प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं में से 37.3% योजनाओं का अपूर्ण रहना।

विधानसभा के माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने हेतु विधायक निधि का गठन किया गया है। सामान्यत: विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु तीन माह का समय अनुमन्य है।

विकास खण्ड खटीमा के विधायक निधि के अभिलेखों की नमूना जाँच में ज्ञात हुआ कि खण्ड के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खटीमा व नानकमत्ता में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक कुल 414 योजनायें स्वीकृत थी जिनमें से केवल 257 योजनायें ही मार्च 2016 तक पूर्ण हो पायी थी, शेष 157 योजनाओं में से 73 योजनायें प्रगतिशील थी व 84 योजनायें प्रारम्भ नही हो सकी थी। इस प्रकार, विकास खण्ड में विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्ण योजनाओं का प्रतिशत मात्र 62.7 था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत 31 योजनाओं में से 12 योजनायें तथा 2013-14 में स्वीकृत 9 योजनायों में से सभी योजनायें प्रारम्भ नहीं हो सकी थी।

इंगित किये जाने पर विकास खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण योजनाये सम्बन्धित वर्ष में पूर्ण नही हो पाती है। समस्त अपूर्ण योजनाओं का यथाशीध्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2015-16 के अतिरिक्त विगत तीन वर्षों की योजनायें भी अपूर्ण थी जबकि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक विधायक निधि के अन्तिम शेष में निरन्तर वृद्धि हुई थी एवं योजनाओं के समय से प्रारम्भ अथवा पूर्ण न होने के कारण जहाँ एक ओर क्षेत्रीय जनता को योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका वहीं दूसरी ओर विधायकों हेतु विधायक निधि आवंटन का उद्देश्य भी पूर्णतः सफल नही रहा।

अतः प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2 (स):- ब्याज प्राप्ति की धनराशि ` 11.72 लाख को राजकोष में जमा न कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन प्रमुख सचिव वित्त के पंत्राक सं. 247/ वि.आ. निदेशक(तृ.रा.वि.आ.)/ 2013 दिनांक 17-01-2013 के अनुसार विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र पंचायत विकास निधि सासंद निधि विधायक निधि पी.एम.जी.एस.वाई. एवं मनरेगा आदि की बची धनराशि पर अर्जित ब्याज को अविलम्व राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत खटीमा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं की अवशेष धनराशि प रदिनांक 31-03-2016 तक अर्जित ब्याज की धनराशि ` 11.72/- लाख थी जिसे शासनादेश के अनुसार राजकोष मे अब तक जमा नही कराया गया था तथा उक्त धनराशि क्षेत्र पंचायत खटीमा के बैक खातों में ही पडी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई के उत्तर मे बताया गया कि ब्याज की धनराशि शीघ्र राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

अतः ब्याज की धनराशि ` 11.72 लाख राजकोष में जमा कराया जाना लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

<u>भाग 4(ब)2</u>

प्रस्तर- 5:- 13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर व्यय हेतु जारी भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत ` 10.57 लाख का व्यय।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संक्रमित धनराशि से मात्र पथ प्रकाश, पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण, स्वच्छता, पेयजल, स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों को हाथ मे लेकर उनका अनुरक्षण तथा परिसम्पत्तियों निर्माण आदि कार्य ही कराए जा सकते थे।

1- इकाई के 13 वे वित्त से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान इकाई द्वारा इस निधि से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत निम्न गैर-अनुमन्य श्रेणी के कार्यों पर व्यय किया गया था।

वर्ष	**क्र.स.**	**कार्य का विवरण**	**स्वीकृत धनराशि ` लाख में**	**व्यय की गई धनराशि ` लाख में**
2014-15	1.	खेतल सण्डा मुस्ताजर सनिया नाल में पुलिया निर्माण	1.50	148.701
तदैव	2.	अलावृद्धि मेला स्थल का फर्श निर्माण	0.25	24,516
तदैव	3.	ह्यूम पाइप कार्य पुलिया मे	0.50	50,000
2015-16	4.	बानूसी में गुरुद्वारे के पास बाउण्ड्री वाल/ नाली निर्माण	2.00	1,98,751
तदैव	5.	नंगला तराई में आन्तरिक खडंण्जा नाली निर्माण	2.00	1,99,961
तदैव	6.	भूड महोलिया कृषक भवन मरम्मत कार्य	2.50	2,49,991
तदैव	7.	भूड महोलिया थारु विकास भवन चौकीदार कक्ष मरम्मत	1.50	1,49,5,88
तदैव	8.	उमरुखुर्द ठेलेवाले के घर से बिलकिस के घर तक खड़ण्जा निर्माण	.40	35,418
		योग	10.65	10,56,926/-

2. इसके अतिरिक्त 13वें वित्त का कार्य काल समाप्त हुए भी एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त एवं कोई भी कार्य शेष नहीं होने के उपरान्त भी ` 16,263/- इस निधि में अवशेष थे।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का गैर अनुमन्य श्रेणी के कार्यों के विषय में कहना था कि भविष्य में दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा जबकि अवशेष धनराशि के समर्पण के संबंध में इकाई का कहना था कि यह धनराशि ब्याज मद से संबंधित है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि किसी भी मद से संबंधित कार्यों की योजना दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जानी चाहिए थी एवं यदि अवशेष धनराशि ब्याज से संबंधित थी तो योजना को समाप्त हुए लगभग एक वर्ष चार माह व्यतीत होने के उपरान्त भी इस निधि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4(ब)-2

प्रस्तर 2(द):- ` 2.02 लाख दैवीय आपदा से संबंधित कार्यों की अवशेष धनराशि का समर्पण न किया जाना।

सरकार द्वारा किसी भी मद में धनराशि स्वीकृत करने के साथ-साथ दिशा निर्देश भी देती है कि उक्त धनराशि को उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जाये जिस प्रयोजन/कार्य हेतु वह अवमुक्त /स्वीकृत की जा रही है।

इकाई की दैवीय आपदा से संबंधित स्वीकृत धनराशि (वर्ष 2013-14) के व्यय संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इस निधि मे स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके थे फिर भी ` 2.02 लाख इस निधि के अवशेष थे जिन्हें बैंक खातों में रखा गया था जो कि वित्तीय नियमों एवं शासनदेशों के विपरीत था।

इस ओर लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि इस धनराशि को उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात समर्पण कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त धनराशि लगभग दो वर्षों के पश्चात भी अप्रयुक्त थी जबकि दैवीय आपदा का (वर्ष 2013-14 व 2014-15) कोई भी कार्य शेष नहीं था।

अतः ` 2.02 लाख की धनराशि को समर्पण नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4- अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खण्ड विकास अधिकारी, खटीमा जनपद- उधमसिहं नगर** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था. निकाय